राजस्थान--सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी, देशल दान, (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–26 / 2026 दायर दिनांक :–11.04.2026

जीसीएमएस नं. 2026 / 26 फैसल दिनांक :–15.04.2026

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर

प्रार्थी

बनाम

श्री धुला रोत, निवासी–धमाला हाल जय भेडमाता रेस्टोरेंट, खेडा बस स्टेण्ड डूंगरपुर

विपक्षी

उपस्थित :–

1. प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, डूंगरपुर–प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए (1) (2), आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय एवं अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय द्वारा राज्य में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग, अवैध रिफिलिंग, अवैध भंडारण और कालाबाजारी जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना एवं एलपीजी आपूर्ति प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य में दो सप्ताह दिनांक 16.02.2026 से 27.02.2026 तक विशेष अभियान के चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त आदेश दिनांक 12.02.2026 की अनुपालना में डूंगरपुर जिले के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर दिनांक 20.02.2026 को घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग पर श्री हिमांशु डामोर प्रवर्तन निरीक्षक बहमराह श्री निलेश खांट प्रवर्तन निरीक्षक, प्रवर्तन अधिकारी की संयुक्त टीम विपक्षी के प्रतिष्ठान जय भेडमाता रेस्टोरेंट, खेड़ा बस स्टेण्ड डूंगरपुर का आकस्मिक निरीक्षण करने पर विपक्षी के प्रतिष्ठान पर कुल 1 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर मय 5.5 किलोग्राम गैस का उपयोग करते हुए पाया गया। जो घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग एवं एलपीजी गैस कंट्रोल ऑर्डर 2000 के क्लॉज 3, 4, 7 की अवहेलना करना पाया जाने से संबंधित 1 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर मय 5.5 किलोग्राम गैस, मेसर्स शिवांग गैस एजेंसी, डूंगरपुर के मैनेजर श्री सुरेश वैरागी को बुलाकर मौतबिरान के समक्ष सिलेंडर के एमआर नंबर, ग्रॉस वेट, टेयर वेट एवं गैस सिलेंडर में संचित गैस का वेटिंग मशीन से तौल करवाकर फर्द तल पट्टी अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगी तैयार किया गया तथा 1 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर मय 5.5 किलोग्राम गैस जब्त कर मेसर्स शिवांग गैस एजेंसी, डूंगरपुर के मैनेजर श्री सुरेश वैरागी को रूबरू मौतबिरान के सुपुर्दगी में दिए जाकर उक्त जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेंडर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए (1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए धारा–6 ए (2) के तहत राजसात करने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं सुनवाई हेतु विपक्षी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना एवं पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी न तो उपस्थित हुआ न ही जवाब पेश किया। अतः विपक्षी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही का निर्णय लिया गया।

प्रकरण में राजकीय पेरोकार की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जब्तशुदा गैस सिलेंडरों को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध दस्तावेजों अवलोकन किया एवं एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि विपक्षी के प्रतिष्ठान की जांच में 1 घरेलु एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 5.5 किलोग्राम गैस का भंडारण पाया गया। विपक्षी का उक्त कृत्य एलपीजी गैस कंट्रोल ऑर्डर 2000 के क्लॉज 3, 4, 7 अवहेलना होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी के प्रतिष्ठान जय भेडमाता रेस्टोरेंट खेडा वस स्टेण्ड डूंगरपुर पर पाए गए 1 घरेलु एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 5.5 किलोग्राम को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6ए(2) के तहत राजसात किया जाता हैं। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त 1 घरेलु एलपीजी गैस सिलेंडर मय 5.5 किलोग्राम गैस का नियमानुसार निस्तारण कर पालना रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(देशल दान),
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

जिला कलक्टर
डूंगरपुर (राजस्थान)